न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता बिरौल दरभंगा

दशई साह

वनाम

सुरेश मुखिया वगै0

वाद संख्या–44 / 2013–14

वाद का प्रकार–अधिकार का प्रख्यापन

आदेश

03.01.2014 यह वाद बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत प्रश्नगत भूमि पर वादी के अधिकार के प्रख्यापन के लिए दायर किया गया है।

प्रश्नगत भूमि का विवरण

मौजा सुघराईन थाना वो अंचल कु0 स्थान जिला दरभंगा।

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
99 पु0	4644 पु0	01 बीघा	उ0–खेसरा7326,7327,7328
559 नया	7323		द0–सच्चिदानन्द पोद्दार
	7324		पु0–ज्योति दवी
	7325		प0–कुंजा साह

प्रथम पक्ष का संक्षेप में कहना है कि वाद पत्र के नीचे वर्णित प्रश्नगत जमीन पुर्व में धौकी पोद्दार की खतियनी जमीन थी जिसके मृत्यु के पश्चात उनका लड़का गंगाधर पोद्दार एवं जगदीश पोद्दार बचा। श्रीमान को विदित हो कि गंगाधर पोद्दार ने दिनांक 04.11.11 को वाद पत्र के नीचे वर्णित खाता वो खेसरा में 15 कट्ठा रकवा बजरिये निबंधित केवाला वादी के नाम से कर दिया तथा केवाला को तिथि से उक्त जमीन पर वादी का हक,स्वत्व एवं दखल कब्जा कायम हुआ। इतना ही नही वादी के सुसंगत कागजात वो दखल कब्जा के आधार पर उक्त जमीन का

जमाबंदी कायम होकर राजस्व रसीद वादी को प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार धौकी पोद्दार के दुसरा लड़का जगदीश पोद्दार जिनका लड़की पवन देवी थी इन्होने दिनांक 04.11.11 को ही पॉच कट्ठा रकवा वादी के नाम से निबंधित केवाला कर दिया जो उनकी दोख्तरी सम्पत्ति थी केवाला की तिथि से उक्त जमीन पर वादीगण का स्वत्व हक वो दखल कब्जा कायम हुआ तथा दखल कब्जा के अनुसार इस जमीन का भी लगान वादी के नाम से निर्गत होने लगा जो प्रश्गनत जमीन सहित अन्य अविवादित जमीन का एकजाई जमाबंदी के तहत राजस्व रसीद वादी को प्राप्त हो रहा है। वाद में वर्णित प्रश्गनत जमीन गंगा पोद्दार एवं पवन देवी को विक्रय करने का पुर्ण वैधानिक हक था वह इससे प्रमाणित हो जाता है कि पुराना एवं नया सर्वे खतियान धौकी पोद्दार के नाम से दर्ज है तथा पुर्व में इस जमीन की जमाबंदी भी धौकी पोद्दार के नाम दर्ज था जिसका कागजात इस वाद पत्र के साथ संलग्न है इस प्रकार चूकि गंगाधर पोद्दार वो जगदीश पोद्दार उनका लड़का हुआ इसलिए धौकी पोद्दार की मृत्यु के पश्चात गंगाधर पोद्दार स्वयं एवं जगदीश पोद्दार की लड़की पवन देवी जो दोख्तरी हकियत थी इन्होने जमीन का विक्रय वादी के नाम से किया जो वादी के दावे एवं कागजातो की वैधता को पुष्टि करता है। प्रतिवादीगण सदैव पुर्व से ही वादी को इस वाद पत्र में वर्णित जमीन से जबरन वेदखल करने एवं उस पर अपना बलपुर्वक दखल कब्जा कायम करने का धमकी किया करता आ रहा है प्रतिवादीगण एक राय होकर वादी के फसल को अपना बताकर जबरन उस पर दखल कब्जा कर लिया है तथा वादी को उक्त जमीन पर जाने से रोक लगा दिया है जिसके कारण वादी को अपने वैध वो हक के जमीन पर अधिकार के प्रख्यापन के साथ साथ वादी का दखल पुनः स्थापित होना वैधानिक रूप से आवश्यक है।

वहीं दुसरी ओर विपक्षीगण का कहना है कि वादी ने अपने वाद पत्र के पारा 01 में गंगाधर पोद्दार एवं पवन देवी द्वारा केवाला किये जाने की बात किये है जबकि उक्त दोनो ही व्यक्ति को विवादित भूमि जो वाद पत्र में वर्णित है बेचने का कोई अधिकार ही नही है। क्योकि जो भूमि पुर्व में उनके पुर्वज के द्वारा ही विक्रय किया जा चूका है पुनः उसी भूमि को उनके वंशजो द्वारा विक्रय किया जाना कानुन के

नजर में मान्य नही है। केशो साह के दो पुत्र धौकी पोद्दार एवं जनक पोद्दार हुए जनक पोद्दार नावल्द मर गये इस प्रकार केशो साह एवं मखन साह के बीच अपसी बटवारे से केशो साह के आधे के हिस्सा का सम्पुर्ण मालिक धौकी पोद्दार हुए। मखन साह के एक लड़का भागवत पोद्दार एवं भागवत पोद्दार के पॉच लड़का कमशः रामधनी पोद्दार, राधे पोद्दार, हरि नारायण पोद्दार, हेमनारायण पोद्दार और सच्चिदानन्द पोद्दार हुए। धौकी पोद्दार अपने हिस्से की विवादी खेसरा 4644 पु0 का कुल रकवा 02 बीघा 16 कट्ठा 16 धुर में से आधा हिस्सा 01 बीघा 08 कट्ठा 08 धुर पॉच भाईयों कमशः सुन्दरी देवी जौजे रामधनी पोद्दार राधे पोद्दार हरिनारायण पोद्दार हेम नारायण पोद्दार तथा सच्चिदानन्द पोद्दार के नाम केवाला सं0 7567 दिनांक 03. 11.1958 को ही केवाला वयला कलामी कर दिया। जब धौकी पोद्दार ही अपने हिस्से की कुल रकवा उक्त विवादी खेसरा का विकय कर दिया तो वाद चल कर उनके पुत्र गंगाधर पोद्दार एंव पौत्री पवन देवी को उक्त भूमि विकय का अधिकार कहॉ से प्राप्त है पुर्व में विकय हो चुके भूमि को दुबारा उनके पुत्रो और पौत्रियों के द्वारा विकय किया जाना नियमानुकुल उचित नही है। अपने पुर्वज के समय से ही द्वितीय पक्ष उक्त विवाद भूमि पर शांतिपुर्ण दखल कब्जा एवं जोत आवाद में चला आ रहा है जिसका अद्यतन राजस्व रसीद भी द्वितीय पक्ष बिहार सरकार को अदाय कर अंचल कार्यालय से प्राप्त करते आ रहे है।

दोनो पक्षो के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना, अभिलेख एवं उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों का अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रश्नगत भूमि हाल खतियान रैयत धौकी पोद्दार के वैध उत्तराधिकारी से निबंधित केवाला से प्राप्त होने की बात कही जा रही है एवं साक्ष्य के रूप में दिनांक 04.11.11 के दो निबंधित केवालाओं की प्रति संलग्न की गई है। प्रतिवादी वंशावली, पुराना खतियान एवं 03.11.1958 के केवाला की प्रति संलग्न करते हुए प्रश्गनत भूमि पर दावा प्रस्तुत करते हैं। संलग्न किये गये कागजातो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि पुराना खेसरा 4644 हाल खतियान के रैयत धौकी पोद्दार के पिता एवं दो चाचा के नाम दर्ज है तथा 03.11.1958 को उक्त भूमि धौकी पोद्दार के द्वारा प्रतिवादी सं0 5, 6, 7, के पुर्वज एवं अन्य को केवाला कर दिया गया है जबकि हाल खतियान धौकी पोद्दार के नाम

से बना है एवं प्रश्नगत भूमि धौकी पोद्दार के वंशजो द्वारा वादी को केवाला कर दिया गया। इस प्रकार इस वाद में जटिल स्वत्व–न्याय निर्णित करने का संश्लिष्ट प्रश्न निहित है। इस प्रकार बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 की धारा 4 (5) के आलोक में वाद की कार्यवाही बन्द किया जाता है तथा पक्षकार उचित व्यवहार न्यायालय के सक्षम उपचारो की याचना के लिए स्वतंत्र होगें।

उपर्यूक्त निष्कर्ष के साथ इस वाद को निस्तारित किया जाता है उक्त आदेश से संबंधित पक्षो के विज्ञ अधिवक्ताओं को अवगत करा दे तथा आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चिपका दे।

लेखापति एवं संशोधित

03.01.19

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बिरौल

03.01.19

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बिरौल